न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
452 / 2022	14.11.2022	19.06.2023

उनवान

1. संजय चौहान पुत्र बलदेवी जाति राजपूत निवासी ग्राम चौबारा तह0 नीमराना।

:—वादी।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार,नीमराना।

:— प्रतिवादी।

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट0 बाबत दुरूस्ती इन्द्राजात।

उपस्थितीः—

1. श्री राजूशर्मा एड0 वादी की ओर से।
2. प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा।

—::निर्णय::—

त्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है—

1. वादी ने वाद पेशकर निवेदन किया कि आराजी ख.नं.हाल 1291/0.54,1292/0.01 वाके ग्राम चौबारा तह0 नीमराना का 1/2 भाग मिन वादी द्वारा विक्रेतागण से जरिये रजि0बयनामा खरीद किया है लेकिन मिन वादी के नाम इंतकाल स्वीकृत समय मिन वादी का नाम संजय चौहान पुत्र बलदेव के स्थान पर संजय सिंह पुत्र बलदेव सिंह दर्ज कर दिया गया,जो गलत है। मिन वादी का सही व वास्तविक नाम संजय चौहान पुत्र बलदेवसिंह है। यही नाम मिन वादी के वोटर पहचान पत्र,परिवार राशन कार्ड तथा शिक्षा के कागजात आदि मे दर्ज है। लेकिन उक्त आराजी का इंतकाल दर्ज करते समय मिन वादी का नाम संजय चौहान पुत्र बलदेवसिंह के स्थान पर संजयसिंह पुत्र बलदेवसिंह दर्ज कर दिया। जिस गलत नाम की जानकारी मिन वादी को अब आराजी पर किसान केडिट कार्ड बनवाने के लिए जमाबंदी की नकले ली तब पटवारी हल्का ने बताया कि राजस्व रिकॉर्ड मे आपका नाम गलत दर्ज है,तब मिन वादी दिनांक 17.10.2022 को तहसीलदार साहब से मिला तो उन्होंने रिकॉर्ड देख कर कहा की दुरूस्ती का दावा पेश करो। इसलिए वादी को राजस्व रिकॉर्ड मे अपने नाम मे दुरूस्ती के लिए न्यायालय श्रीमान मे यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।
2. अन्त मे वादी ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने की प्रार्थना कि है:—

(क) डिक्री दुरूस्ती इन्द्राज इस अमर की जारी की जावे कि आराजी ख.नं.हाल 1291/0.54,1292/0.01 वाके ग्राम चौबारा तह0 नीमराना के हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के खातेदारी कॉलम मे जहॉ पर वादी का नाम संजयसिंह पुत्र बलदेव सिंह दर्ज किया हुआ है उसे मिन वादी के वोटर पहचान पत्र,परिवार राशन कार्ड व शिक्षा के कागजात व सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर दुरूस्त किया जा कर उसके स्थान पर "संजय चौहान पुत्र बलदेवसिंह" दर्ज किए जाने की घोषणा फरमाई जावे एंव इसी अनुसान हाल राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमायें जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

(ग) दीगर दादरसी जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे सादीर फरमाई जावे।

3. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया । बाद तामिल प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया कि वादी नाम की दुरूस्ती चाहता है, वादी का सिद्व हो जाता है तो वाद डिक्री किए

जाने मे कोई आपत्ति नही है। जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई।

4. वादी ने अपने वाद की पुष्टि मे साक्ष्य मे स्वयं का शपथ पत्र पी0डब्लू0 01,बिजेन्द्रसिंह पुत्र रामपालसिंह का शपथ पत्र पी0डब्लू0 02,प्रवीण कुमार पुत्र रमेश सिंह का शपथ पत्र पी0डब्लू0 03 पेश किए है, तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे ग्राम पंचायत गूगलकोटा का प्रमाण पत्र प्रदर्श 01, नकल जमाबन्दी संवत 2075–78 प्रदर्श 02, प्रमाण पत्र केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रदर्श 03 व छाया प्रति आधार कार्ड,परिवार राशनकार्ड 08 पेश किये है।

5. वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे वादी द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत गूगलकोटा द्वारा जारी प्रमाण पत्र मे वादी का सही नाम''संजय चौहान पुत्र बलदेव सिंह''होना बताया है,तथा वादी द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति आधार कार्ड,राशन कार्ड के अवलोकन से साबित है कि वादी का सही नाम संजय चौहान पुत्र बलदेव सिंह है। वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात के आधार पर वादी का वाद साबित होता है। वाद वादी डिक्री किए जाने योग्य है।

6. अतः आदेश है कि:–

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी एकपक्षीय डिक्री किया जाकर आराजी ख.नं. 1291/0.54,1292/0.01 वाके ग्राम चौबारा तह0 नीमराना मे वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी मे **संजय सिंह पुत्र बलदेव सिंह** अंकित हो रहा है, जो गलत हैं, जिसे कलमजन किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर दुरूस्त किया जाकर वादी का सही नाम **संजय चौहान पुत्र बलदेव सिंह** अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। तथा इसी प्रकार से बाद दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड मे अमलदारमद किया जावे। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 19.06.2023 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

19/6/2022

मुकुन्द सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
452 / 2022	14.11.2022	19.06.2023

उनवान

1. संजय चौहान पुत्र बलदेवी जाति राजपूत निवासी ग्राम चौबारा तह0 नीमराना।

:–वादी।

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार,नीमराना।

:– प्रतिवादी।

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट0 बाबत दुरूस्ती इन्द्राजात।

उपस्थिती:–

1. श्री राजूशर्मा एड0 वादी की ओर से।
2. प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा।

–::पर्चा डिक्री::–

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी एकपक्षीय डिक्री किया जाकर आराजी ख.नं. 1291 / 0.54,1292 / 0.01 वाके ग्राम चौबारा तह0 नीमराना मे वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी मे **संजय सिंह पुत्र बलदेव सिंह** अंकित हो रहा है, जो गलत हैं, जिसे कलमजन किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर दुरूस्त किया जाकर वादी का सही नाम **संजय चौहान पुत्र बलदेव सिंह** अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। तथा इसी प्रकार से बाद दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड मे अमलदारमद किया जावे। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा।

19/6/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)